राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2)विभाग

क्रमांक–प. 3(1)कार्मिक/क–2/2013 जयपुर, दिनांक 4 MAY 2017

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (सम्भागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स) सहित।

परिपत्र

विषय– मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि में कम्प्यूटर योग्यता अर्जित करने पर नियमित वेतन श्रृंखला दिये जाने के संबंध में।

कार्मिक विभाग की अधिसूचनां दिनांक 5.7.2010 द्वारा मंत्रालयिक सेवा नियमों में संशोधन कर लिपिक ग्रेड–द्वितीय (पूर्व पदनाम कनिष्ठ लिपिक) की शैक्षणिक योग्यता 'मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सैकण्डरी या समतुल्य परीक्षा और कम्प्यूटर योग्यता' का प्रावधान किया गया था। राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अन्तर्गत जारी परिपत्र दिनांक 21.09.2010 के तहत आश्रित को प्रथमतः नियुक्ति दिये जाने एवं नियुक्ति के पश्चात एक वर्ष में उक्त अधिसूचना दिनांक 5.7.2010 में विहित कम्प्यूटर योग्यता अर्जित करना अनिवार्य था। किन्तु यदि आश्रित द्वारा निर्धारित समयावधि में कम्प्यूटर योग्यता अर्जित नहीं की जाती है, तो उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी, इस संबंध में नियमों में कोई उल्लेख नहीं था। अतः कम्प्यूटर योग्यता विलम्ब अवधि से अर्जित करने पर विलम्ब अवधि में शिथिलन दिये जाने की सहमति हेतु एवं ऐसे कार्मिकों को नियमित वेतन श्रृंखला कब से देय होगी, के संबंध में राय हेतु विभिन्न विभागों से प्रकरण इस विभाग में प्राप्त हुए हैं।

इस संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा परीक्षण किया गया और नियमों में स्पष्ट प्रावधान नहीं होने की स्थिति में कार्मिक विभाग द्वारा अधिसूचना दिनांक 02.01.2017 जारी की गई जिसके अनुसार अब मृतक आश्रित कर्मचारी को कम्प्यूटर योग्यता 01 वर्ष के स्थान पर परिवीक्षाकाल में अर्थात 02 वर्ष में अर्जित करना अनिवार्य है और यदि वह उक्त अवधि में कम्प्यूटर योग्यता अर्जित नहीं करता है, तो जितनी विलम्ब अवधि से वह कम्प्यूटर योगयता अर्जित करेगा, उसका परिवीक्षाकाल उतनी ही अवधि का आगे बढ़ जायेगा।

22/2017

चूंकि उक्त अधिसूचना, दिनांक 02.01.2017 से प्रभावी है। अतः दिनांक 5.7.2010 से 01.01.2017 तक की अवधि में नियुक्त ऐसे कार्मिक जिनके द्वारा निर्धारित समयावधि के पश्चात कम्प्यूटर योग्यता अर्जित की गई है, उनको नियमित वेतन श्रृंखला कब से देय होगी, के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि जिन कार्मिकों द्वारा नियुक्ति तिथि से 01 वर्ष बाद एवं 02 वर्ष से पूर्व (परिवीक्षा अवधि से पूर्व) कम्प्यूटर योग्यता अर्जित कर ली गई है, को दो वर्ष का परिवीक्षाकाल संतोषजनक पूर्ण करने पर नियमित वेतन श्रृंखला देय होगी और ऐसे कर्मचारी जिन्होंनें नियुक्ति तिथि से दो वर्ष का परिवीक्षाकाल पूर्ण होने के पश्चात भी कम्प्यूटर योग्यता अर्जित नही की है, को नियमित वेतन श्रृंखला, परिवीक्षाकाल संतोषजनक होने की स्थिति में उस दिनांक से देय होगी जिस दिनांक को उसके द्वारा कम्प्यूटर योग्यता अर्जित की गई है।

अतः समस्त विभागाध्यक्ष एवं नियुक्ति प्राधिकारियों को व्यादिष्ट किया जाता है कि उक्त दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करे।

(भास्कर ए. सावन्त)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. सचिव, लोकायुक्त, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
6. निदेशक, भाषा विभाग, राजस्थान जयपुर ।
7. एसीपी, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग

संयुक्त शासन सचिव

22/2017